



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 74-2022/Ext.]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 26 अप्रैल, 2022
(6 वैशाख, 1944 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या सांका०नि० 49/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 26 अप्रैल, 2022 —हरियाणा सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिकस तथा संचार विभाग (गुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	201—202
	2. अधिसूचना संख्या सांका०नि० 50/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 26 अप्रैल, 2022 — हरियाणा इलैक्ट्रॉनिकस एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (गुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	203—204
भाग IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं	

भाग-III**हरियाणा सरकार**

सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 अप्रैल, 2022

संख्या सांका०नि० 49/संवि०/अनु० 309/2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2019, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार विभाग (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2019 में, नियम 5 में, "सत्तरह" शब्द के स्थान पर, "अठारह" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

अनिल मलिक,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

INFORMATION TECHNOLOGY, ELECTRONICS AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Notification

The 26th April, 2022

No. G.S.R. 49/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Information Technology, Electronics and Communication Department (Group B) Services Rules, 2019, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Information Technology, Electronics and Communication Department (Group B) Service (Amendment) Rules, 2022.

2. In the Haryana Information Technology, Electronics and Communication Department (Group B) Service Rules, 2019, in rule 5, for the word “seventeen” the word “eighteen” shall be substituted.

ANIL MALIK,
Addional Chief Secretary to Government, Haryana,
Information Technology, Electronics and Communication Department.